11

(194)

संख्या– /XVII-4/2017–01(82)/2014

प्रेषक,

डॉ0 रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/**
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. **निदेशक,**
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड
हल्द्वानी–नैनीताल।

3. **निदेशक,**
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड
देहरादून।

4. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–4 **देहरादून,** दिनांक 25 सितम्बर, 2017

विषयः–समाज कल्याण एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना का लाभ **वास्तविक छात्रों को दिलाये जाने हेतु उपस्थिति की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्ध में।**

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य राज्यों में संचालित समस्त सरकारी शैक्षिक संस्थानों एवं ऐसे निजी संस्थानों, जिनमें व्यावसायिक डिग्री/डिप्लोमा तथा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं, में अध्ययन करने वाले उत्तराखण्ड राज्य के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त समस्त विद्यालयों/महाविद्यालयों/ उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की बायोमैट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में उपस्थिति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान आदि में प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं को नियमानुसार देय छात्रवृत्ति का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाते के माध्यम से लाभार्थी को सम्बन्धित बैंक द्वारा बैंक ब्रांच में बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाकर ही आहरित की जायेगी तथा छात्रवृत्ति की धनराशि ए0टी0एम0 / क्रेडिट/डेबिट कार्ड आदि से आहरित नहीं की जायेगी।

3. उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जायेगी। कृपया उपरोक्तानुसार आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डॉ0 रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या –567/XVII-4/2017–01(82)/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (S.L.B.C.), भारतीय स्टेट बैंक, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
7. नोडल अधिकारी, आई0टी0 प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

निदेशालय